भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2777
12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

पीएम-एमकेएसएसवाई की मुख्य विशेषताएं

2777. श्री मस्तान राव यादव बीडाः

क्या मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः ,

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (पीएम- एमकेएसएसवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मत्स्यपालन करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए कोई बीमा कवर उपलब्ध है ;
(ख) पर्यावरण की दृष्टि से यह योजना किस प्रकार टिकाऊ तथा जलवायु अनुकूल मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है तथा क्या नेल्लोर जिले के लिए ऐसे किसी हस्तक्षेप की पहचान की गई है या उसे क्रियान्वित किया गया है ;
(ग) क्या इस योजना से नेल्लोर जिले से घरेलू समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलने की आशा है और यदि हांतो घरेलू बाजारों को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए कौन ,-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से नेल्लोर जिले तथा सामान्य रूप से आंध्र प्रदेश में सृजित होने वाले नए रोजगार अवसरों की अनुमानित संख्या कितनी कितनी है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक की चार वर्षीय अवधि के लिए ₹6,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए 11 सितंबर 2024 को PM-MKSSY के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) की शुरुआत की गई। उप-योजना की मुख्य विशेषताएं हैं (i) बेहतर सेवा वितरण के लिए मत्स्य श्रमिकों की कार्य आधारित डिजिटल पहचान के निर्माण सहित असंगठित मात्स्यिकी क्षेत्र का क्रमिक औपचारिकरण, (ii) मत्स्य किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपनी पूंजीगत लागत को कम करने और अपने परिचालन का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यशील पूंजी सहित संस्थागत वित्त तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्रदान करना (iii) संस्थागत क्षमता को बढ़ाकर, बाजार पहुंच में सुधार, वित्त तक पहुंच की सुविधा और व्यवसाय विकास योजनाओं और आवश्यकता आधारित समर्थन के माध्यम से मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना (iv) मत्स्य किसानों को जलकृषि बीमा की खरीद के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, (v) मात्स्यिकी एवं जलकृषि क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को मूल्य श्रृंखला की दक्षता में सुधार तथा रोजगार सृजन एवं उसके अनुरक्षण के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित करना (vi) मात्स्यिकी क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुरक्षित मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना, तथा रोजगार सृजन एवं उसके अनुरक्षण के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित करना।

पीएम-एमकेएसएसवाई अपने घटक 1-B के तहत किसानों को एक्काकल्चर बीमा खरीदने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। जलकृषि बीमा के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन प्रीमियम की भुगतान की गई राशि का 40 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 प्रति हेक्टेयर अथवा 4 हेक्टेयर जल फैलाव क्षेत्र के लिए ₹1 लाख प्रति किसान निर्धारित है। फार्म्स, केज कल्चर, RAS, बायो-फ्लॉक और रेसवेज आदि जैसी गहन प्रणालियों सहित एक्काकल्चर प्रणालियों के लिए, भुगतान किए गए प्रीमियम के 40% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1800 घन मीटर (m^3) के लिए ₹1 लाख प्रति किसान है। इसके अलावा, SC/ST और महिला लाभार्थियों को सामान्य श्रेणी को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के अलावा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलती है।

(ख) से (घ): PM-MKSSY के तहत कार्बन उत्सर्जन में कमी (डीकार्बोनाइजेशन), ऊर्जा एवं जल उपयोग दक्षता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने, स्वच्छता एवं अपशिष्ट/प्रदूषण प्रबंधन में सुधार, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, सतत उत्पादन पद्धतियों तथा बेहतर प्रबंधन पद्धतियों जिनमें रोग प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन, प्रमाणन, अनुरेखणीयता आदि शामिल हैं, को अपनाने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय एवं जलवायु-अनुकूल मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

PM-MKSSY के घटक 2 और 3 के अंतर्गत, सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रदर्शन अनुदान (परफॉर्मेंस ग्रांट) के माध्यम से मत्स्य मूल्य-श्रृंखला की दक्षता में सुधार और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के लिए यह सहायता कुल निवेश का 25% या 35 लाख रुपये (जो भी कम हो) है, जबकि SC, ST और महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह कुल निवेश का 35% या 45 लाख रुपए (जो भी कम हो) है। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तरीय संगठनों और स्वयं सहायता समूहों (SHG), FFPO और सहकारी समितियों के संघों के लिए प्रदर्शन अनुदान, कुल निवेश के 35% या 200 लाख रुपए, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। प्रदर्शन अनुदान की निर्धारित सीमा के अंतर्गत, पीएम-एमकेएसएसवाई कुल पात्र प्रदर्शन अनुदान के 50% की सीमा के अधीन क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए नौकरियों के सृजन और रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये और 15,000 रुपए की राशि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, PM-MKSSY अन्य बातों के अलावा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण और सतत जलकृषि, मूल्य संवर्धन, प्रमाणन, ट्रैसेबिलिटी, रोग निगरानी, आधुनिक फसल-पश्चात और कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन के लिए सहायता के माध्यम से भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देता है।यह योजना मात्स्यिकी से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बेहतर तकनीकों को अपनाने, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मत्स्य मूल्य श्रृंखला में बाज़ार संपर्क स्थापित करने में भी सहायता करती है।

इसके अलावा, PM-MKSSY एक मांग-आधारित उप-योजना है और इसे आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया गया है।आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले सहित किसी भी जिले के लिए कोई विशिष्ट अंतर्क्षेप या जिला-वार या राज्य-वार रोजगार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिर भी, इस योजना का उद्देश्य 1.70 लाख रोजगार सृजित करना है।
